Sir, this time when Central Government decided to appoint a common Governor for the States of Nagaland, Manipur and Tripura, we were given to understand that the headquarters of the Governor will be at Kohima. So, the people of Nagaland were happy that at least a Common Governor headquarters will be at Kohima even though a separate Governor for the State of Nagaland is not possible at this juncture and accordingly, if I am not wrong, this amendment was initiated on the basis that the Governor's Headquarters will be at Kohima. Otherwise, for the last 17 years this amendment Bill was not brought. But only on this understanding that the headquarters will be at Kohima this Bill was brought.

But now the Minister has said that the Government has gone back from this earlier decision. So, I would request the hon. Minister to re-consider it because this will hurt the sentiments of the people. This will amount to bluffing the people. So, once the Government takes a decision, the Government must stick to that.

Secondly, you are well aware that when the Nagaland State Act was enacted in 1962, there were disturbances in Nagaland. Therefore, the law and order responsibility was vested in the Governor under Article 371 A (1) and sub-clause (b) of the Constitution. Now, compared to 1962 the law and order situation is very much improved. Therefore, the law and order power must be transferred to the elected Government because even after 17 years if the law and order is continued to be vested in the Governor, then the Naga people will think that the Central Government is not having trust or confidence in the elected people of Nagaland. Therefore, considering the situation, I will urge upon the Home Minister to transfer the law and order responsibility from the Governor to the elected representatives of Nagaland.

With these few words I support the Bill.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The hon. Member has pointed out about the headquarters of the Governor. Originally there was one Governor for all these five States and from that it is bifurcated into two, one Governor for Assam and Meghalaya and the other for Manipur, Tripura and Nagaland. As the hon Member rightly pointed out, originally it was proposed that the headquarters will be at Kohima, but later on it was found out that Imphal. that is in Manipur, is centrally situated and it will be convenient for the Governor to stay at Imphal and to visit the two neighbouring States and to attend to the work. Therefore, it was changed from Kohima to Imphal.

PROF. N. G. RANGA: What is the attitude of Nagaland Cabinet about it?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Originally the headquarters was Gauhati. But because there are two Governors for these two States, the headquarters is now at Imphal. The people of Nagaland, according to the hon. Member, wanted it at Kohima.

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh): The agreement should be honoured.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: There is no question of agreement. In the agreement there was no commitment about a particular place as the headquarters of the Governor, but it was committed that it would be in Kohima, but because of the central situation of Imphal, it was decided that it should be at Imphal.

The second point is a suggestion made by the hon. Member. I have taken note of it.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : We now go to the next item—item 11.

15.40 hrs.

WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Services) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This house will recall that while announcing the decision of the Government of the Recommendations of the Tribunals for Working Journalists and Non-journalists Newspaper Employees, except those relating to Dearness Allowance, in December, 1980 a solemn assurance was given to the House that should the apprehensions about retrenchment of part-time correspondents consequent on the acceptence of the recommendations of the tribunals relating

to them be found justified, Government would have to consider as to what steps are necessary to avert this consequence.

Subsequently complaints were received by the Government alleging that newspaper establishments were retrenching part-time correspondents in order to avoid payment of wages in accordance with the Government orders on tribunals recommdndations. A number of Hon. Members also wrote to the Government to take immediate steps to stop such retrenchments and also to have retrenched employees reinstated. The Government, therefore, sought legal advice. It was felt that although part-time correspondents employed by the establishments of newspapers and news agencies whose principal avocation is that of journalism, could be considered Working Journalists as per the existing provisions of the Act and could, therefore, avail of the remedy prescribed under the Industrial Disputes Act in the event of their retrenchment, it was felt desirable to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 so as to put the matter beyond pail of doubt. Accordingly, it was decided to amend the act, the amendment was carried out by promulgation of the Working Journalists and Other Newspaper Emeployees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Ordinance, 1981 on 26th July, 1981, so that there may not be further retrenchment of part-time correspondents. The Amendment was given effect to from 13th August, 1980, the date ofon which the Government received the recommendations of the Tribunals.

Suggestions have been made that the amendment should be given effect from an earlier date. Strictly speaking any cause for action on the recommendations of the Tribunals arises only when they are accepted by Government. It was however, felt this was desirable to give effect to the amendment from 13-8-1980, the date on which the Tribunals submitted their recommendations to Government for the reason that some establishments might have taken action in anticipation of their acceptance. Government consider that to antidate the amendment from a prior date would not be justified.

Under the Ordinance, the definition of 'Working Journalists' has been amplified to include part-time correspondents within its scope. Provision has also been made that no newspaper establishment shall dismiss, discharge or retrench any newspaper employee including a part-time employee by ereason of his liability to pay wages in terms of Government order issued under the Act. This in our view covers all possible contingencies that might arise in the implmentation of the recommendations.

The effect of this amendment is that it removes the ambiguity on the question whether a part-time correspondent whose principal avocation is journalism is a 'Working Journalists' so that he may avail of the remedies available under the existing law including the Industrial Disputes Act in respect of their grievances.

The Bill has already been passed by the other House i.e. the Rajya Sabha and the copies of the Ordinance have been laid on the table of the House and the detailed statment explaining the circumstances which necessitated legislation by promulgation of Ordinance has already been circulated amongst Members. The Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1981 seeks to replace the Oridinace by an Act of Parliament.

So, with these words, I move :

> "That the Bill further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That the Bill further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaenous Provisions Act, 1955, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Sudhir Giri

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Mr. Chairman, Sir, at the outset I support the Bill. I am glad that the hon. Minister has brought forward this Bill. I praise her but I cannot do so whole heartedly because this Bill isa half-hearted measure.

A tribunal was constituted under the Working Journalists and Other Newspaper employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 and this tribunal was headed by Justice Palekar. On the basis of the Palekar Award, the Bill has been introduced both in the Rajya Sabha and in the Llok Sabha.

[Shri Sudhir Giri]

The Bill comes into force with effect from 13-8-80. But before this date, I have information that about 2500 part-time workers and employees and journalisists also have been retrenched. What has been done about them ? Not only this. There should have been a financial memorandum attached to the Bill. If the newspaper establishments and news agencies do not give any relief to the retrenched employees or to the employees who have been deproved of their due wages, etc. then the Government should come forward to give relief to them. But such a provision has not been made in the Bill.

We are all aware of the fact that the journalists have to work in the distant villages, in the towns and cities, with different type of men and their jobs are very risky. The monopoly newspaper houses have not yet given them proper wages. They were being deprived of their due wages. Not only that. The monopoly newspaper houses have been split up and they have been split up only to deprive the Class I journalists of their higher wages as recommended by the Palekar Award. The Bennet Coleman Co. has also been split up. The Bill seeks to provide for the wages to part-time journalists and to imprve their working conditions. So, from the point of view of these two aspects, the Bill is to be considered.

As regards wages, the emoluments that an employee is paid should be in accordance with the duty performed irrespective of their lower designation. In some newspaper establishments, some employees are paid less than what they should be paid according to their work-load. I think, the Government should take note of this point. Secondly, some newspaper employees are even being wrongly paid lower emoluments that what have been recommended by the Palekar Award. Thirdly, there are some senior newspaper employees who are being paid equal to or less than what a junior employee is being paid after the implementation of the Palekar Award.

The pay and allowances of reporters and Special Correspondents should have been increased because in these days of rising prices, the correspondents or the newspaper employees have to suffer a lot. Their fincncial conditions should be considered. HRA and City Allowance and night shift allowances could also be re-started.

Increase in D.A. should be Rs. 1·30 paise per point increase in the price index.

As regards service conditions, I have some suggestions to make and the Government, I hope, will take note of it. I have already pointed out that about 2,500 employees have been retrenched and suitable measures should be taken to reinstate them or to reemploy them.

The date from which the Bill should be effective should be 1-1-80 or earlier. If the Government finds that any newspaper employee or working part-time journalist has been discharged or dismissed, then, from that date, the Bill should be made effective.

The Palekar Award has not recommended anything for the apprenticeship period. I, therefore, suggest that the apprenticeship should not last for more than one year at the most.

The Palekar Award has stipulated that the probation period should last for more than one year. I suggest that this period of probation should not last for more than three months.

Just before and after the publication of this Palekar Award, many newspaper establishments are transferring their correspondents from one place to another so that they may relieve them of their jobs and the newspaper establishments would not be required to pay for them. To avoid this payment, they have been transferring and these transfers are malafide transfers. I request the Government to take note of the malafide transfers.

All newspaper establishments and news agencies are creating extraneous issues to bloc the payment of the newspaper employees and the working journalists. The Government should come forward to remove these blocs.

The progressive decline of some news agencies is being found in our country. As for example the Samachar Bharati, the Hindustan Samachar, the Hindi news agencies. Government should come forward to vitalise these news agencies so that the interests of the employees working in the news agencies should be protected.

While emphasising often the safe-guarding of interests of the newsmen and employees of the newspaper establishments and news agencies, I should urge Government that they should be given news print. The Government policy is not favourable to the small newspapers. There are no advertisements to the small newspapers. [illegible] supplying them with

the news print at lower price. So I suggest that news print must be given to small newspapers.

Some journalists are being persecuted. Even the other day I find from the newspaper reports that the Hon. Minister Shri Sathe has said in a public meeting that Government do not attach much importance to the newspapers. He has said that only 10% of the total population has connection with the newspaper or they read and most of the people have connection with the radio or television. Why has he said so ? Because some newspapers come forward to criticise the Government and this is intolerable to them. So the radios and television are being controlled by the Government. Through them the Government can put forward their won opinion. So, they are trying to mini mise the importance of the newspapers. And I think that the press is the best safeguard for the preservation of democracy. I, therefore, emphasise that the Government should take note of it that the interest of the journalists are safeguarded.

MR. CHAIRMAN : Your time is over.

Shri RAJESH KUMAR SINGH.

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री महोदय ने जो श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्रकर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया है, उस पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस बिल का स्वागत करना ही चाहिए लेकिन सरकार की जो मंशा है, वह साफ नहीं है। आप बड़ा वक्त निकलने के बाद यह बिल लाए हैं और क्योंकि मंशा साफ नहीं है, इसलिए दोनों ही पक्षों को खुश करने का प्रयास किया गया है। जो बड़े अखबार वाले हैं, जो बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं। जिन के बहुत बड़े अखबार और ऐजेन्सियां चलती हैं, ऐसे लोगों को भी खुश किया गया है और जो पार्ट-टाइम लोग हैं, जो श्रमजीवी पत्रकार लोग हैं, उन्हें भी खुश करने का प्रयास किया गया है यह कह कर कि देखो आप के लिए भी एक कानून बना दिया गया है। दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी छूट दे दी गई है और छूट उसी दिन से शुरू हो गई, जिस दिन पालेकर ट्रिब्यूनल की बात लोगों के समक्ष आई। जब तक उस की रिकमेंडेशन्स आई, तब तक वे सारे लोग सचेत हो गये थे और आप को याद होगा कि उस वक्त कुछ समाचारपत्रों में इस तरह का समाचार छपा था कि ट्रिब्यूनल क्या करने जा रहा है। आप जानते ही हैं कि ये जो बड़े लोग होते हैं, इनके बड़े हाथ होते हैं और उन की पहुंच भी बड़ी होती है। कुछ जानकारी उन्हें इस के बारे में पहले ही हासिल हो चुकी थी। इसलिए मेरा आप से यह अनुरोध है कि पालेकर एवार्ड में जो इम्पलीमेंटेशन की बात है, उस के बारे में आप सोचें। उस में यह है :

> "However, the implementation date in the final proposals is October 1, 1979, for newspapers placed in classes 1B, 1A, I, II and III. In the case of ther news agencies, the relevant date recommended is October 1, 1980."

तो पहली शुरूआत यहां से हो गई।

दूसरी बात यह है कि पालेकर एवार्ड के अन्दर जो डी० ए० का फार्मूला है, वह ऐसा उलझा हुआ है कि सही माइने में श्रमजीवी पत्रकारों के सामने बड़ी समस्याएं आ गई हैं जैसा अभी हमारे एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि जो बहुत दूर, किसी कस्बे में या किसी देहात में पत्रकार आंशिक रूप से काम करते हैं, वहां से न्यूज कलेक्ट करते हैं और फिर उन को भेजते हैं, उन को कितनी बड़ी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इस की कल्पना वही लोग कर सकते हैं। उन की आर्थिक कठिनाइयां क्या हैं ? कोई इस बात की कल्पना कर सकता है कि 110 रुपये में दिल्ली में कहीं मकान मिल सकता है। मेरा ख्याल है कि यह कल्पना करना कि कलकत्ता,

[श्री राजेश कुमार सिंह]

दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में 110 रुपये में मकान मिल सकता है, सही नहीं है और उस के लिए 110 रुपए देने की बात की गई है। क्या सही मायनों में 110 रुपये में बम्बई या कलकत्ता में कोई जगह मिल जाएगी ? इस बिल में इस बारे में भी कोई बात नहीं है कि उन के बच्चों के भविष्य के बारे में, उन की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में क्या होगा। क्या वे उन्हें उपलब्ध होंगी या नहीं होंगी ? ये सुविधाएं उन्हें उपलब्ध होनी चाहिएं ।

एक लोकतांत्रिक देश में पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह हमारे सामने बहुत सी बातें रखता है और उन से लोग जागरूक होते हैं। अगर लोगों के अन्दर जागृति नहीं होगी तो लोकतन्त्र जीवित नहीं रहेगा । इसलिए पत्रकारों को हमें सभी सुविधाएं देनी चाहिएं ।

16 hrs.

इस ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात है, कि जो छंटनी कर दिये गये हैं, जिन को विक्टीमाइज किया गया है, वह न हो उनके बारे में मेरा कहना यही है कि ये सिफारिश जनवरी, 1980 से लागू होनी चाहिएं न कि बाद की तारीख से। अगर सरकार सचमुच में यह करे तभी सरकार की मंशा साफ होगी ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जब कांग्रेस आई का घोषणापत्र निकला था तो उस में एक सेन्टेंश यह भी था कि छोटे और मझोले पत्रों को जो कि देश के साढ़े पांच लाख गांवों में पहुंचते हैं प्रोत्साहन दिया जाएगा और उन के पत्रकारों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा । मैं समझता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स जैसे पत्र देश के सारे गांवों में नहीं जाते हैं। गांवों के अन्दर वे पत्र जाते हैं जो छोटे स्तर के होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेबल पर निकलते हैं। वे ही गांवों में खबरें फैलाते हैं। आप भी चाहेंगे कि छोटे-छोटे गांवों में जो लोग रहते हैं उन तक भी देश की खबरें पहुंचे। लेकिन यह जो अमेंडमेंट आप ले कर आये है, जो रिपोर्ट ट्रिब्यूनल ने दी है उस का एक छोटा सा भाग इस में ले कर आये हैं। ट्रिब्यूनल ने काफी रिकमण्डेशंस दी हैं उनमें से एक अंश ले कर आप आ गए हैं। यह तो श्रम विभाग का काम नहीं था, यह तो सूचना और प्रसारण विभाग का काम था । लेकिन श्रम विभाग ने सोचा कि एक छोटा सा बिल पेश कर दो, पीसमील लेजिस्लेशन । अखबार में जो काम करते हैं उन का जो शोषण होता है, उन को लाभ नहीं मिल पाता उन के बारे में जो रिकमण्डेशंस थीं उन में से एक रिकमण्डेशन आप ने मान ली है ।

> "Every part-time correspondent shall be paid not less than 1/3rd of the basic wage (basic pay +D.A.) applicable to a full time correspondent at similar level. No News Agency shall put any restriction on a part-time correspondent that he will not work for any other News Agency unless he is appointed full time."

इस के सिवाय और जो सारे चैप्टर हैं उनमें से एक भी रिकमण्डेशन आपने नहीं मानी । मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो फुल टाइम कोरेसपोंडेंट्स होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं, ठेके पर काम करने वाले होते हैं और इच्छा पर, आनरेरियम पर काम करने वाले होते हैं, एक विशेष संवाददाता होते हैं, उन में से मुझे मालूम होता है कि आपने जर्नलिस्ट को डील किया है। मुझे यह बताने की कृपा करें कि पूर्णकालिक, अंशकालिक, ठेके पर, इच्छा पर जो काम करने वाले कोरेसपोंडेंट्स हैं और जो आज भी चार-पांच सौ आदमी हैं और उन में से हमारे पार्लियामेंट भवन में भी आते हैं, वे कौन-से कोरेसपोन्डेंट्स हैं ? उनमें बहुत से ऐसे हैं जो पहले सूचना

विभाग में काम करते थे, वहां से रिटायर हो गये और कोरेसपोंडेंस बन गए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ?

आप ने एक बात कह दी कि रिट्रेन्च नहीं किया जाएगा। लेकिन जो गांवों में जा कर काम करते हैं ओवर टाइम क्या उन को भी मिलेगा। ये सुविधाएं ग्रेचुएटी वगैरह: की उन को भी मिलेगी या नहीं ? जो काम आप की पुलिस नहीं कर सकती, ये अखबार वाले करते हैं। सारे देश के साढ़े पांच लाख गांवों में आप की पुलिस नहीं पहुंच सकती है ये अखबार वाले पहुंच जाते हैं और वहां से खबरें ला कर के सारे देश को जागरूक रखते हैं। आप ने उन की यह रिकमण्डेशन यहां रख दी कि उन को रिट्रेन्च नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं कि जिन पत्रकारों का शोषण होता है दमन होता है उन की गिनती नहीं है, उन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? पालेकर की रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें दी गई हैं, लेकिन उनको माना नहीं गया है, केवल एक छोटा सा लेजिसलेशन लाकर आप ने रख दिया। एक खबर में आया है कि जितने जर्नलिस्ट हैं, पार्ट-टाइम फुल टाइम कारसपांडेंट हैं, उन को सुविधा दी गई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग इस से लाभान्वित होंगे ? कितने आनरेरियम पार्लियामेंट में आते हैं, पहले सर्विस में थे, पेंशन मिलती है और यहां आ कर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं, उन के लिए आप ने क्या किया। अपांयटमेंट लैटर के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, जब चाहे उन को निकाला जा सकता है। पार्ट टाइम, फुल टाइम, ठेका, इच्छा या आनरेरियम बताइए इन की क्या हालत है। यह जो लेजिसलेशन है, इस से शोषण नहीं मिटेगा। छोटे पत्रकारों को ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। कारसपांडेंट ज्यादा सुविधाएं ले लेते हैं और काम छोटे पत्रकारों को करना होता है, गांवों में धूल झोंकने ये जाते हैं और खबरें लाते हैं।

समय कम है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बताएं कि जर्नलिस्ट, कारसपोंडेंट कितने प्रकार के होते हैं और इन को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं। इन की पेंशन और ग्रेच्युटी आदि सुविधाओं के बारे में भी बताएं।

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : Mr. Chairman, Sir, I support this motion on behalf of my party. I appreciate that the Government have come forward by taking suitable action by giving some protection to the working journalists and employees of certain newspapers..

While supporting this, it is my duty to make some demands and privileges on behalf of the working journalisst and employees of various newspapers in this country. Now-a-days, the correspondents of newspapers—medium or local papers—are poorly paid. They are also faced with poverty. I have come across cases of young men in Tamilnadu who are highly educated being employed as journalists but they could not get married. Why ? Because certain persons are not willing to give their daughters in marriage to these young people who are highly educated. They are receiving very poor salaries—unremunerative salaries, I should say—and a s aresult the persons are unwilling to give their daughters in marriage to these young journalists and employees. This Government is called upon to protect the interests of these working journalists. I am thankful to the hon. Member for his suggestion that marriage allowance should be given to these people to encourage them to marry. In Delhi also I have come across these young persons who are bachelors who should be given some sort of allowance known as marriage allowance. Then only they will be happy in their wedded life. They are looking forward to enjoy this married life and newly wedded life. The working journalists should be given yearly bonus the profits reaped by the very big monopoly houses. So far the bonus is not sufficiently and truly given in proportion to the profit reaped by monopoly houses. It should be checked by the Government.

Sir, we are wedded to socialism. We are marching towards socialism. As

[Shri K. Mayathouar]

such, the journalists and employees of leading journals should beco ne the share-holders of those monopoly newspapers and journals. In the long run they should become owners of the monopoly houses. They should have not only right towork but also their employment and job should be protected equivalent to the protection given under articles 320 and 311 of the Constitution tothe Central Government employ es. As long as we do not give this right there is no meaning In passing any number of Bills.

In Tamil Nadu there is one Tamil paper called *Mokkal Kural*. This was started in Madurai town-southern most end of Tamil Nadu. They have closed this Paper and nearly 250 workers have lost their job. The Tamil Nadu Government is unwilling to protect the interests of the employees. Now, they are on the street. They are fighting against the State Government. The State Government is is not coming forward to re-instate these dismissed employeees. There is another newspaper by name *Alai Osai*. That Paper has been purchased by a Trust created by the Ruling Party in Tami Nadu, that is Anna DMK. Anna DMK collected Rs. 30 lakhs in the name of Ana DMK trust. Those Rs. 30 lakhs have been collected by the present Chief Minister of Tamil Nadu in the name of his party. That amount has been utilised for the purchase of *Alta Osai* newspaper.. Immediately after the purchase of this newspaper by MGR that paper has been closed. All the workers numbering four hundered have lost their jobs in Madras city. I request the Government to sympatheiically consider all these pooints and protect the lives and the interests of 450 workers, employees and journalists who have lost their job because of the trust created by the Chief Minister, Madras by purchase of that newspaper which is against the interests of the journalists of Tamil Nadu. I support this Bill. My friend argued very ably on behalf of the Government. I request the Government to come forward still more speedily to protect the interests of the working class. There are somny benamidars in so many papers. For instance *Makkai Kural* has been declared as being run by the working journalists. But there are thousands of fictitious binami names in that paper and the Chief Minister has brought so many binamidars as shareholders. That kind of binami shareholders, binami lournalists, binami employees, should be located, should be found out, and it should be investigated. These types of instances should be altogether eliminased and only bonafide working journalists should be protected. This is my submission. I request the Government to march forward much more speedily towards socialism than what they are doing just at present. With these words I support the Bill. Thank you.

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapur) : In our opinion this Bill is in the right direction. I hope that the Government will not keep any lacuna in this Bill so that once again, as had happened previously, the owners of newspapers will take steps to go to court in order to stay and to stall the implementation of this Bill. It is an apprehension which is there in our mind. Now, Sir, the journalists felt, and rightly felt that although the Government comes up with some good Bills, nevertheless, knowingly or unknowingly, purposefully or without any purpose, certain lacuna is allowed to remain and the owners of the big newspapers get advantage of the lacuna and they go to court. Any how, Sir, this Bill is a Bill which has to protect the interests of stringent journalists, parti-time journalists or mofussil journalists. Actually the fact remains that this award which has been given recently is only the third award. Previously there have been two awards. That is given by Wage Board I and Wage Board II. Parulekar Award has recently come and it has also been discussed. This has been responsible for giving certain benefits to the working journalists. But then in order to see that the benefits do not reach such employees, large number of these employees have been thrown out of employment. The multinational companies are operating which are having their monopoly press and they are really wise people. They go to court. They stall the implementation of any good award which is brought into being. Sometimes they manoeuvre; they do things in many other ways ; it is a thing which must be looked into. There are other newspapers and magazines which are called medium newspapers and magazines. There are some others which are called small newspapers and magazines. In most of these cases the recommendations of the first award and the second award, in regard to these medium and small newpapers, have not been implemented. We urge upon the Government to see that these are implemented. If there is any difficulty, any geniune difficulty, the same can be placed before the Wage Board. The

Wage Board can hear the views of the Management. They can hear the views of the working journalists also. After hearing the views of both the sides they can come to their own conclusion. I fail to understand why the Government has not taken any steps even today. Although a large number of small and medium newspapers have not implemented the Award, the Government is remaining silent on this. This is a funny feature. I hope the Government will consider all these things.

16.21 hrs.

[SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*]

There is a *Jagron* in Hindi from Kanpur. The owner of this paper is the President of the Indian & Eastern Newspapers Society. This gentleman and this paper have not yet implemented anything of the Award. What steps have you taken to protect the interest of the workers there ? There is another paper called *The National Herald*. You know very well who controls it and who has got connections with it. Pandit Jawaharlal Nehru had connections with it. I hope today Shrimati Indira Gandhi has connections with it. This paper has thrown out of employment a large number of employees. This paper had the audacity not to implement, not to put into practise the injunction of the High Court. The Labour Department of the Labour Ministry is doing nothing in this matter. Similarly, there is *The Hindustan Samachar* which was mentioned earlier. This paper is also not doing justice to its employees. I hope, the Minister will come forward not only to pass this Bill but also to see that the interest of these people is protected.

A special and cunning manoeuvre is being adopted by the owners of the newspapers. Whenever they come to know that the Government is bringing forward such a Bill, they will take recourse to a manoeuvre. First of all, you know, very well that a large number of persons have been dismissed, not retrenched; simply they are thrown out of employment; no job from tomorrow for them; no reason has been given. In many small and medium newspapers, the journalists are not even given letters of appointment. Naturally, it is very easy for them to throw them out. After they are thrown out of employment, they appeal and ask for the reason of throwing them out. So, they ask them to come at Calcutta, Bombay and Delhi. When they go there, they are told that you are not our employees any more ; you are to work on a contract basis. The Bill suggests that the main job of the journalists is journalism. But they say that their job in the main is to be an advocate, to be a teacher. They also say that they are not their employees. These papers tell them that they will given them something on a contract of, say, Rs. 100 per month for sending some news. So, their employment goes. Such men are in thousands. There are attempts of dismissal, removal whatever they call. I would like to know from the hon. Minister of what steps are you going to take to safeguard the interest of such persons who have been removed in this manner. ? If you go into it on one day you will find that these papers do not give them letters of appointment. It is very difficult to safeguard their interest. So, I hope that when you have come foraward with this Bill, you will also safeguard the interest of those persons and see that the provisions of this Bill are implemented in full. I also hope that the Government will not hesitate to fall upon such parties, the Labour Department and other agencies to take action against these people and agencies which will not implement the provisions of this Bill. I also hope that the Government will remain careful so that further lacunae are not brought in, so that if anything which you pass here is presented in the Court, it will not harm them. With this I support this Bill, which is in a right direction, with the hope that the Government will plug the lacunae so that nobody can stall the provisions of this Bill.

• गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, पालेकर एवार्ड, आने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस से निपटने के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं उस का स्वागत करता हूं। पालेकर एवार्ड आने के बाद छोटे, बड़े और मझोले पत्रों ने बहुत से पर्मानेंट या टैम्पोरेरी संवाददाताओं को निकालना प्रारंभ कर दिया था। सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी करके उस पर तुरन्त पाबन्दी लगा दी, जो कि एक स्वागत-योग्य कदम था। उस आर्डिनेंस को एक स्थायी कानून का रूप देने के लिए यह बिल लाया गया है, जिस में यह प्रावधान दिया गया है कि अंशकालिक या अन्य संवाददाताओं को पत्र के मैनेजमेंट अपनी इच्छा के अनुसार निकाल न सकें।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

जब यहां पर पालेकर एवार्ड डिसकस हुआ था, तब लेबर मिनिस्टर का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया था कि बहुत से पत्रकारों को निकाला जा रहा है और उनको विक्टिमाइज करके ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिस से वे कोई न्याय प्राप्त न कर सकें। उसी आधार पर यह बिल लाया गया है, जो कि स्वागत-योग्य है। मगर इस बिल में कई और बातों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि मिनिस्टर महोदया ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, इस बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लागू होना चाहिए। इस बिल में इस बात का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि अंशकालिक संवाददाताओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे, बोनस के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप जानते हैं कि बोनस डैफर्ड वेज है और इसलिए एक अंशकालिक संवाददाता को जितनी वेज मिलती है, उस के हिसाब से उसे बैनिफिट मिलना चाहिए। उस के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बिल में प्राविडेंट फंड के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके कारण अंशकालिक संवाददाता प्राविडेंट फंड के बैनिफिट से वंचित रह गए हैं। इस के अलावा यह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि अंशकालिक संवाददाता तथा छोटे पत्रों में काम करने वाले संवाददाता ई० एस० आई० और अन्य वैलफेयर स्कीम्ज से लाभान्वित हो सकें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर ये प्रावधान इस बिल में नहीं किये जा सकते हैं, तो वह भविष्य में इस की व्यवस्था करें।

इस बिल में इस बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जब कोई अंशकालिक संवाददाता काम से निकलेगा, तो उस को ग्रेच्युटी और रिट्रेंचमेंट बैनिफिट्स प्राप्त होंगे। वह व्यवस्था भी निश्चित तरीके से होनी चाहिये।

अगर अंशकालीन पत्रकार या संवाददाता निकाला जाता है तो उस को कितना रिट्रेन्चमेंट बेनिफिट मिलेगा, क्या-क्या लाभ मिलेगा--इस सम्बन्ध में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि उन को भी ये सब लाभ मिल सकें, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये।

जितने बड़े-बड़े पत्र हैं, जिन को कैपिटेलिस्ट लोग मैनेज करते हैं उन पत्रों में जिस प्रकार का मैनेजमेंट बैठा हुआ है उन से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि संवाददाता चाहे फूल-टाइम हो या पार्ट-टाइम हो, उन को न्याय मिलेगा। ऐसे लोगों के लिये भी इस में उचित व्यवस्था होनी चाहिये जिस से उन को नुकसान न हो। जब पालेकर वार्ड लागू हुआ था तो उस समय बहुत से पत्र बन्द कर दिये गये थे। एक बहुत बड़ा पत्र भी उस समय बन्द हो गया था, जब पालेकर रिपोर्ट पर यहां बहस हुई थी, उस समय मैंने उस के बारे में निवेदन किया था। उस के बाद आप के सद्‌प्रयत्नों से दोबारा चालू हुआ। इस लिये पत्रों के सम्बन्ध में जिस प्रकार की बहस कल हो रही थी कि वे लाक-आउट, ले-आफ़ या क्लोजर के नाम पर पत्र को बन्द न कर दें, उस के लिये इस में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये कि उस परिस्थिति में छोटे-छोटे संवाददाताओं को क्या लाभ मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): I have not much to say on this Bill. I would only draw the attention of the hon. Minister to certain difficulties and certain problems faced by the working journalists.

So far as this particular Ordinance is concerned, it is a step in the right direction. The enforcement and retrospective effect of it is of crucial importance. Whenever the employers had anticipated that the wage award was going to be in favour of the employees and that they would have to bear the added burden of financial implications, they started taking certain steps which were equivalent to de-categorisation of certain sections of their own correspondents. Many of the part-time reporters have been retrenched summarily. The Ordinance sought to provide legal basis for the protection of those part-time reporters. But the date of enforcement has been, as in the Ordinance, from August 30, 1980. My point is that before August 30, 1980 as far as my information goes, about 2000 part-time reporters have been de-categorised, retrenched and their services have been summarily dispensed with. Therefore, the provision of the Ordinance does not cover those part-time correspondents who have been de-categorised, discharged or dismissed before August 30, 1980. Therefore, if the Government iss incere in providing for legal base and rehabilitation of those who have been discharged or dismissed, then the only way out is to give the Ordinance retrospective effect from October 1, 1979. I have suggested this date, Ist October 1979, because right from that date the employers could understand or smell that the Award was going to be in favour of the employees. Therefore, if the Government is really sincere to cover those part-time journalists, who have been discharged or dismissed, then there is no alternative other than to give effect to the Ordinance with effect from Ist October 1979.

Secondly, I think the hon. Minister knows the nature of the complaints of the working journalists. I will mention only the principal problems or complaints of the working journalists. There has been no proper classification, as per the recommendations of the Palekar Award. There is the question of categorisation of working journalists. That has not been properly done. Then there is the question of proper feed back. That has not been done by many newspapers owners.

There is the question of payment of arrears. Many employers have not paid the arrears.

Another important problem is, in all the establishments where the management claim implementation, where they say they agreed to pay the recommended wages to the part-time correspondents, more than 2,000 part-timers have already been discharged. These are the immediate problems before the working journalists.

It is quite known that the hon. Minister of Labour is alive to the problem. She has pointed out that according to the information received by the Ministry many newspaper managements, which have agreed to implement the orders of the Government, accepting the Award issued through a notification 9 months ago, are yet to do so. Though nine months have elapsed, the arrears have not been paid. The whole trouble is the Government relies upon the machinery of the State Governments and many State Governments have not taken adequate steps to see that the recommendations of the award are properly implemented.

My simple question is this. What additional arrangements do the Government propose to make in order to see that the State Governments take necessary action, in order to see that the award is properly implemented? Why should they not set up a special cell to monitor the implementation of the award?

While supporting the Bill, I would urge upon the Government to see that the problems which have been mentioned by me earlier, and the problem of implementation of the Award as quickly as possible should get proper attention from the Government and the necessary initiative taken by the Government immediately.

Since the Government is aware of the fact that a large number of employers have not yet implemented the Award, or paid the arrears, can she take the House into confidence and say who are the employers who have not yet implemented the Award and not paid the arrears. Then the people of our country can know the nature of the employers and take certain popular steps for the implementation of the Award properly and quickly.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: So far as the names of the newspapers which have accepted the Award and which have not accepted the Award are concerned, that question has been answered many a time in this House as well as the other House. It will be supplied to you by me later and not today. It is with me.

SHRI CHITTA BASU: My point is, she goes to the press and says that all these things are known to her. What is the reasons of her not giving it to the House? I mean, the statement made.

MR. CHAIRMAN: If I could understand her correctly, she said that during the current Session she has occasions to inform the House on this very matter so many times. Any way there is no harm if there is repetition.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: I can place this on the Table of this House.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Now, Mr. Nawal Kishore Sharma may speak.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति जी, मैं प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैंने ही इस सदन में 377 के जरिये से इस विषय को उठाया था कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पत्रकार लोगों की सर्विसिज को इन बड़े पत्रों के मालिकों ने पालेकर अवार्ड के आने के बाद समाप्त कर दिया । मैंने 377 नियम के अन्तर्गत मामले के जरिये से सरकार से मांग की थी इक सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे । मुझे खुशी है कि मंत्री महोदया ने और सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया और इस कानून में संशोधन किया ।

पर मुझे यह लगता है कि यह संशोधन अधूरा है और इस संशोधन को फिर से संशोधित करना पड़ेगा । जो मतलब वे पूरा करना चाहते हैं वह इससे पूरा नहीं होगा । इसलिए मैंने इस अमेंडमेंट बिल की क्लाज दो में एक संशोधन पेश किया है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदया इस पर गंभीरता से विचार करेंगी और उसको स्वीकार करेंगी ।

सभापति जी, मूल प्रश्न यह है कि पालेकर अवार्ड जो वर्किंग जर्नलिस्टस के लिए आया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, उसको ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं । बहुत से अवार्ड हमारे देश में आ जाते हैं लेकिन उन अवार्डों का प्रतिफल, जिनके लिए वे अवार्ड होते हैं उनको मिलता है या नहीं, यह सवाल है । मैं अपने मित्र चित्त बसु से इस बात में सहमत हूं कि असल में इस अवार्ड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखना है कि वह ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं । सरकार को और विशेषतया श्रम मंत्रालय को पूरी तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए ।

अखबार एक बहुत बड़ा माध्यम है । सरकार के भी आंख और कान का वह काम करता है और जनता के लिए उसके दुःखदर्द पहुंचाने का वह एक रास्ता है । इसलिए अखबार में काम करने वालों की काम की कंडीशंस और सुविधायें ऐसी हों कि वे बिना किसी डर, संकोच लाभ और लालच के अपने काम को निर्भीक होकर ईमानदारी से पूरा कर सकें ।

देश में दुर्भाग्य से अखबारों के मालिक बड़े पूंजीपति हैं और पूंजीपतियों का अपना एक तरीका होता है, शोषण की उनकी मनोवृत्ति होती है, इसीलिए पालेकर अवार्ड के आने के साथ-साथ अनेक बड़े पूंजीपति जो अखबारों के मालिक हैं, उन्होंने ऐसे रास्ते ढूंढने शुरु कर दिए, जिससे पालेकर अवार्ड के परपज को डिफीट किया जा सके । "बैनेट कोलेमन एण्ड कंपनी" के बारे में तो हम सब जानते हैं कि किस ढंग से अपने अखबार के समूह को बाइफरकेट करने की कोशिश की और पालेकर अवार्ड से मिलने वाले लाभों को समाप्त करने की कोशिश की । मुझे खुशी है कि सरकार ने इस मामले में जो कुछ कार्यवाही की, उससे उनको

सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अंशकालीन संवाददाताओं के बारे में यह सही है कि 2500 लोगों को एक कलम से इन्होंने हटा दिया, क्योंकि वे नौकरी की परिभाषा में नहीं आते थे, आनरेरियम अलाउंस के नाम पर उनको रखा गया था, उनकी कोई टर्मस एण्ड कंडीशंस आफ सर्विसेज नहीं थीं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था, उनको हटाने की कोशिश की गई। सरकार ने यह काम अच्छा किया कि इस बिल के जरिये से उनको भी इसमें शरीक करने की कोशिश की और जो अम्बीग्युटी है, उसको साफ करने की दिशा में कदम उठाया लेकिन फिर भी वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में इसमें कुछ और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपके इस अमेंडमेंट के बाद भी जो दिक्कत हो सकती है वह यह हो सकती है कि अंशकालीन संवाददाता, पार्ट टाइम और फुल टाइम एंप्लाइज़ की जो डेफीनेशन है, क्या वह आदमी जो कि एक अलाउंस पर, आनरेरियम पर है, जिसका कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं है, जिसको कोई अपायंटमेंट लैटर नहीं दिया गया है, वह फुल टाइम या पार्ट टाइम एंप्लाइज़ की परिभाषा में आएगा या नहीं आएगा इसलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है——

> "Any person who was in employment on 13th August, 1980 whether whole-time or part time including part time Correspondents whether employed permanently or for a fixed period shall be deemed to be an employee for the purpose of this Act."

मैं समझता हूं कि इसको इंसर्ट किए बिना जो गांवों में या दूर-दराज में पार्ट टाइम के आधार पर लोग काम करते हैं, शायद उनकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें।

मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं......।

सभापति महोदय : कौन पत्र किस किस्म में है, कब स्थापना किस पत्र की हुई, वह ठोस आधार पर है या नहीं है, क्या आप इस विषय पर भी विचार करेंगे ? मान लीजिए कोई पत्र 6 महीने पहले निकाला गया है उसका श्रीगणेश हुआ है, और कोई पत्र 7 साल से काम कर रहा है और उसका आर्थिक आधार ठोस है, दोनों में अंतर करेंगे या नहीं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : सभापति जी, अंतर तो करेंगे लेकिन वह करने का काम मेरा नहीं है। इस वक्त तो सवाल यह है कि पालेकर-अवार्ड को कैसे लागू किया जाए। पालेकर अवार्ड ने इन सारे सवालों पर, जो आपने उठाये हैं, विचार किया है और इसलिए आज वह विषय इस सदन में विचार के लिए नहीं है कि उन पत्रों के बारे में क्या व्यवस्था होगी और क्या नहीं होगी। आज तो मूल में इतना ही प्रश्न है कि पालेकर अवार्ड जो वर्किंग जर्नलिस्ट के हक में आया है, यह एक अच्छा काम है, अच्छा कदम है; इसके इंप्लीमेंटेशन का लाभ मिले और जो शोषण बड़े पूंजीपति करते रहे हैं, वह बंद हो, इसलिए पालेकर अवार्ड है।

मैं निवेदन कर रहा था कि पालेकर अवार्ड के बारे में मंत्री महोदया ये सब बातें देखेंगी।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। इसका सम्बन्ध श्रम मंत्रालय से है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि असल में जरनलिज्म में बहुत कुछ घोटाला होता है। काफी शोषण होता है जर-

[श्री नवल किशोर शर्मा]

नलिस्टस का। आनरेरियम के नाम पर कुछ लोगों की नियुक्ति होती है। चूंकि आनरेरियम उनको दिया जाता है इसलिए एम्प्लायी की तारीफ में वे नहीं आते हैं और इसलिए न तो उनको बोनस मिलता है, न ग्रेचुइटी, न पेंशन और न ही पी एफ बैनिफिटस ही मिलते हैं। श्रम मंत्रालय को देखना चाहिये कि किस तरह से वर्किंग जनरलिस्ट स की हालत को सुधारने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको रोका जा सकता है। अगर आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में एक विस्तृत कानून भी लाया जाना चाहिये। हमारे देश में दूर दराज में रहने वाले और शहरों में रहने वाले, दिल्ली जो राजधानी है, उस में रहने वाले या दूसरे प्रान्तों की राजधानियों में रहने वाले जरनलिस्ट स को निर्भीक बनाने की आवश्यकता है, उनका अस्तित्व जो आज मालिकों की कृपा पर निर्भर करता है उसको खत्म करने की जरूरत है। इस दिशा में श्रम मंत्रालय को उनकी रक्षा के लिए आवश्रक कानून लाने होंगे। जब तक उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होगी, उनके एमालुमेंटस गारंटीड नहीं होंगे, उनकी सर्विस कंडिशंज ठीक नहीं होंगी, उनका फ्यूचर एश्योर्ड नहीं होगा, तब तक कोई जरनलिस्ट निर्भीकता के साथ अपना काम अदा नहीं कर सकेगा। यद्यपि यह विषय इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन यह एक अहम विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर आवश्यक हो तो कानून में भी संशोधन किया जाना चाहिये।

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : यह बिल अपने आप में महत्वपूर्ण बिल है। जिन लोगों की इस में चिन्ता की गई है निश्चय ही ऐसा करके एक अच्छी बात की गई है। यह एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन फिर भी इस बारे में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। देश में समाचार पत्रों की निष्पक्षता, उनकी स्वतंत्रता, उनकी निर्भीकता बनी रहनी चाहिये। इस दृष्टि से सभी परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

16.53 hrs.

उन में जो काम करने वाले पत्रकार हैं, श्रमजीवी हैं उन की वर्किंग कंडिशंज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह चीज अखबारों की आर्थिक स्थिति पर भी काफी हद तक निर्भर करती है। भाषायी समाचार पत्रों का, जिनका देश में पत्रकारिता की दृष्टि से और प्रसार और प्रचार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। इस बिल को पूर्ण बिल तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन काफी कुछ इस में अच्छी बातें हैं। पूरी गारंटी इसमें नौकरी की नहीं दी गई है। धारा तीन में यह व्यवस्था की गई है कि "मजदूरी के संदाय के अपने दायित्व के कारण, किसी समाचारपत्र कर्मचारी को पदच्युत सेवोन्मुक्त या उसकी छंटनी नहीं की जाएगी।" परन्तु यदि किसी पत्रकार को अखबार में निकालना हो तो अनेक कारण बनाए जा सकते हैं। इस कारण उसको सर्विस की गारंटी नहीं रहती है। इसलिए उसको निर्भीक बनाने के लिए उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और भी कुछ प्रावधान किए जाने चाहिये।

मैं आपको उस समय की याद दिलाना चाहता हूं जब स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जी देश के प्रधान मंत्री थे। उस समय जो समाचार पत्रों का स्तर था,

जो ग्रखबारों की निर्भीकता थी, उसको ग्राज भी याद किया जाता है, और उनकी नीति को ग्रादर की दृष्टि से ग्राज भी देखा जाता है । लेकिन ग्राज वह कम होती दिखाई देती है । उस जमाने में उनका यह विचार था कि समाचार पत्र जितने निर्भीक, स्वतंत्र ग्रौर निष्पक्ष होंगे उतना प्रजातंत्र हमारे देश में कामयाब होगा । यह उनका मौलिक विचार था, इस विचार को ग्रागे बढ़ाने की ग्रावश्यकता है ।

मुझे याद है कि ग्रापातकाल में सारे समाचार-पत्रों को दबाव में रखने के लिये काफी उपाय किये गये थे जिसके परिणाम सामने ग्राये । मेरा कहना है कि पत्रकारों के बारे में जो विचार किया गया है उसमें ग्रौर लोगों को भी शामिल करने की जरूरत है । पत्र, पत्रिकायें भी वैचारिक ग्राधार को बनाते है जो सारी बात को बढ़ावा देते हैं उनको भी लेना चाहिये । ग्रावश्यक सेवा घोषित होने पर ग्राज सुबह ही विचार किया गया कि ग्रौद्योगिक विवाद नियम, श्रम कानून लागू नहीं होगा । यदि सरकार के मन में यह बात ग्रा जाये ग्रौर सरकार तय कर ले कि यह ग्रावश्यक सेवा है तो पत्रकारों की क्या स्थिति होगी ? क्या वह स्वतंत्र रह पायेंगे । इसलिए स्वतंत्र, निर्भीक समाचार पत्र रहें इसके लिये जरूरी है कि उनमें काम करने वाले लोगों की ग्रार्थिक स्थिति भी ठीक हो । उनको ग्रधिक से ग्रधिक सुविधायें मिलें, उनकी सर्विस की गारन्टी हो ग्रौर दूर-दराज में जाने के लिए उनको तमाम साधन उपलब्ध करायें जायें ग्रौर स्वतंत्र, निष्पक्ष समाचार-पत्रों पर सरकार का किसी प्रकार का दबाव न हो ग्रौर पत्रकार निर्भीकता से ग्रपना काम कर सकें इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये । यही मुझे कहना है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस ग्रौर समाचार-पत्र देश की ग्रांखें हैं । जो कुछ देश में हो रहा है, समाज में हो रहा है ग्रौर सरकारें कर रही हैं उन सभी को प्रेस ग्रौर समाचार-पत्र दिग्दर्शित करते हैं ग्रौर नेता तक समाचार पहुंचते हैं । ग्रब यह समाचार-पत्र भी ग्रधूरा है यदि उसके संवाददाता उसके सम्पादक निर्भीक, निष्पक्ष प्रकार के न हो पायें, वह स्वतंत्र न हो पायें, स्वतंत्र लेखनी प्रयोग न कर सकें तो जो डेमोक्रेसी का मूलमंत्र है निष्पक्षता, विचारों की स्वतंता, विचारों का प्रकाशन वह भी समाप्त हो जायेगा ग्रौर डेमोक्रेसी ग्रपंग हो कर रह जायेगी । बड़ा खेद का विषय है कि ग्राज हमारे समाचार-पत्र निर्भीक, निष्पक्ष ग्रौर स्वतंत्र प्रकार के नहीं रह गये हैं ग्रौर उसका कारण है कि सरकार का उन पर दबाव है । सरकार कुछ पत्रों को ग्रधिक प्रोत्साहन देती है, जो पूंजीपतियों के ग्रखबार हैं उनको ग्रधिक सहायता देती है, उनको गले लगाती है ग्रौर दूसरी ग्रोर जिनको वह समझती है कि जनता का सही व्यू पोइंट प्रस्तुत करेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही करती है, उनको प्रश्रय नहीं देती ।

पालेकर ग्रवार्ड के बाद भी "हिन्दुस्तान समाचार" "समाचार भारती" के बहुत से कर्मचारियों की तनख्वाहें बाकी हैं ग्रौर उनको वेतन नहीं दिया गया । इसलिये वह बहुत परेशान हैं ।

17.00 hrs.

पालेकर ग्रवार्ड हिन्दुस्तान समाचार ग्रौर समाचार भारती ये समाचार-पत्र लागू नहीं कर रहे । ग्रवार्ड के बाद भी

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

करीब-करीब 2,000 पत्रकार और संवाददाता नौकरी से निकाल दिये गये हैं, जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा। गवर्नमेंट उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार यह नहीं कर सकती कि जो न्यूजप्रिंट इन समाचार-पत्रों को दिया जाता है, अगर वह पालेकर अवार्ड को लागू नहीं करते तो उनके उस कोटे में कटौती कर दे ? यह सरकार के हाथ की बात है और वह कर सकती है। इस तरह से पालेकर अवार्ड लागू कराया जा सकता है, परन्तु ऐसा कैसे हो ? बड़े-बड़े धन्नासेठ जिनके अखबार हैं, पूंजीपतियों के अखबार हैं, वह सरकार से कोटा बढ़ा कर ले आते हैं।

सरकार के पास क्या कोई ऐसा ब्यौरा है कि जिन समाचार-पत्रों ने पालेकर अवार्ड को लागू नहीं किया उनके नाम सरकार को मालूम हैं या नहीं ? अगर मालूम हैं तो मंत्री महोदय बतायें।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, पत्रकारों की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछली बार आपने सभी अखबारों में देखा होगा।

अभी ला० जगत नारायण का हत्याकांड हुआ। इस प्रकार के कांड हो रहे हैं, तो पत्रकार कैसे स्वतंत्रता से कार्य कर सकते हैं ? सरकार को इनकी देखभाल करनी चाहिये इनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये। अखबार क्या है ? संवाददाता के आधार पर अखबार चलता है। संवाददाता कठिन परिस्थितियों में कहां-कहां से समाचार लाता है कितनी ही कठिनाई उठाता है, यदि उनकी सुरक्षा का हमने प्रबन्ध नहीं किया तो निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता हमारे देश में नहीं रह जायेगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये, उन्हें निर्भीक बनाय रखने के लिये और भी कार्य करने की जरूरत है।

छोटे सम्पादकों और संवाददाताओं की भाषा ही तो समाचार-पत्र हैं, उनको ऊपर उठाने की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है।

मैं कई जिलों में जानता हूं कि कई खास अखबार हैं, उन्हें सरकार के विज्ञापन मिलते हैं, दूसरे अखबारों को नहीं मिलते। सरकार को नीति की घोषणा करनी चाहिये, अगर राज्य पर सरकार ने यह कार्य छोड़ दिया तो इससे अन्याय होगा।

मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. A.K Roy. You are the last. You will wind up the debate.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): The Bill is a very light Bill..

MR. DEPUTY-SPEAKER: But the speaker is not a light man.

SHRI A.K. ROY: I am the last, Sir. This is a light Bill and I am happy that, with this, the Labour Minister would be able to do a heavy task, that of implementation of the Palekar Award. Wisdom generally dawns on this Government occasionally; I do not disagree, but it always dawns on them late. They have already burnt their fingers in dealing with newspaper owners while carrying on negotiations in the wage Board. The news-

paper owners became successful in absolutely sabotaging that Wage Board which led to the Tribunal and its award.

This Palekar award is dated the 12th August. It was submitted to the Government on the 13th. On 26th December, they accepted that recommendation. But the recommendation was leaked out to the employers in February itself, as people say. Government came to know that there was a large scale retrenchment of those part-time journalists, etc., only afterwards and that too, after a question was asked in Parliament.

A question was asked in this Parliament on February 25. It is unstarred question No. 1399. It asked:

> "Whether the working and non-working Journalists have submitted representations to the Government that after notification of Palekar award many papers have terminated the services of many of the working journalists;
>
> (b) If so, the facts thereof; and
>
> (c) The steps taken so far to restore them to their original positions, if any".

After that the Government woke up to the position. Now they have come out with a Bill. Though I do not say that it is late; it is better late than never.

I want to say that this Bill is drafted in such a way that the owners of the Press would find all the ways to get out of its clutch. That is why I would like to say that while moving my amendment to the clauses.

I would like to say that the question of journalists is not like dealing with the workers. Working journalists produce public opinion while the worker produces some commodity. Here their independence and security are to be kept in view. In my opinion, any attempt to deal with the remuneration, wages etc. of the working journalists should be connected with the problem of their working conditions, the conditions in which they have to work.

That means the Labour Minister and the Minister for Information and Broadcasting should work together and there should be a joint Working Group to liberate the journalists from both their economic hardship and also from the constant threat of dismissal by the proprietors. Recently some seminar was held in last December—the National Media Convention—in Delhi There a lot of things were said about diffusion of ownership and whether the owners of newspapers have implemented the Palekar Award. Sir, you will find that not only small owners here and there but the big owners and monopolists who have got complete control over their newspapers have got the courage to flout the wage board award and also the Government and they have not implemented the Palekar Award and retrenched the journalists. The Government must find some way to bring these big fellows to book. These big owners also wield considerable political power over the government and influence the mass media. The Government should think of bringing them under control so that they can free the journalists from their constant threat and also from economic hardship by completely implementing the award.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: सभापति महोदय, मैं श्री सुधीर कुमार गिरि, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री डागा, श्री मायातेवर, श्री नारायण चौबे, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री चित्त बसु, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री जटिया, श्री गंगवार और श्री ए० के० राय की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बिल के बारे में बड़ी लम्बी-लम्बी, और छोटी-छोटी भी, बातें कहीं। मैंने उन सब बातों को ध्यान से सुना है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस एमेंडिंग बिल का आबजेक्टिव बहुत लिमिटिड है। इस बिल के द्वारा पार्ट-टाइम कारेसपोंडेंट्स को वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में रखा गया है। अगर कोई पार्ट-टाइम कारेसपोंडेंट डिसमिस होता है या छटनी-ग्रस्त होता है, तो वह इंडस्ट्रियल डिस-प्यूट्स एक्ट के मातहत एप्राप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त लेबर ट्रिब्यूनल के पास अपनी कम्प्लेंट्स और ग्रीवांसिज के रिड्रेसल के लिए जा सकता है। इस बिल में एक और प्रावीज़न यह है कि कोई एम्प्लाई इसलिये डिस्मिस या रिट्रेंच नहीं होगा कि न्यूज़पेपर एम्प्लायर को आर्थिक कठिनाई है। यही तरमीमें हमारे इस बिल में हैं।

[श्रीमती राम दुलारी सिन्हा]

जहां तक अन्य सुझावों का सवाल है मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि हम और वे दोनों मिल कर किसी दिन बैठें, उस बैठक में तमाम बातों का तज़किरा ठीक ढंग से होगा कि क्या-क्या रास्ते निकल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि 2500 पार्ट-टाइम कारस्पोंडेंट्स रिट्रेंच्ड हैं। एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि 2 हजार पार्ट-टाइम कारस्पोंडेन्ट्स रिट्रेन्च्ड हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को बतलाना चाहती हूं कि मेरे पास इस तरह की 50 कम्प्लेंट्स रिट्रेंचमेंट की सीधी आई हुई थीं। मैंने 1 अगस्त को टाइम्ज ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, यू० एन० आई०, पत्रकार संसद् और अल्जमियत के प्रतिनिधियों को बुला कर बात की थी। 26 जुलाई को यह आर्डिनेंस भी आ गया था। इस आर्डिनेन्स को बिल में परिणित करते हुए मैं आप से निवेदन कर रही हूं कि राज्य सभा ने इसे पारित कर दिया है, आज आप भी इसे पारित कर दें।

दूसरा सवाल यह उठाया गया है कि 13 अगस्त, 1980 से आगे क्यों इम्प्लीमेंट किया जाय या कार्यान्वयन किया जाय या एन्फोर्स किया जाय। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहती हूं कि किसी भी ट्रिब्यूनल का एवार्ड तब से कार्यान्वित होता है, जब से सरकार उसे स्वीकार कर लेती है। पालेकर ट्रिब्यूनल के एवार्ड को दिसम्बर, 1980 से भारत सरकार ने स्वीकृति दी, लेकिन बहुत कसरत के बाद, जिस दिन सरकार ने ट्रिब्यूनल के एवार्ड को रिसीव किया उसी दिन से हम इस को एन्फोर्स करने जा रहे हैं—वह है 13 अगस्त 1980। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक बात मैं आप से कहना चाहूंगी —

जमाने भर की मुसीबतें मुझे रुला नहीं सकतीं, मैं क्या करूं मुझे आदत है मुस्कराने की।

कहा गया है कि जो बड़े-बड़े अखबारों के मालिक हैं मैं उन के साथ पक्षपात करती हूं। यह सब बात गलत है। मैं कहना नहीं चाहती उस थ्योरी को—कार्ल-मार्क्स की थ्योरी—लेकिन श्री ए० के० राय को बतलाना चाहती हूं।

> "From each according to his capacity to each according to his work and from each according to his capacity to each according to his need."

किन-किन देशों में यह कार्यान्वित हुआ या नहीं हुआ, मैं अपने को उन कंट्रोवर्सी में डालना नहीं चाहती, लेकिन हमारे कुछ उसूल हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हम प्रजातंत्र के राही हैं, हमारी पद्धति पालियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास करते हैं, टोटेलोटेरियनिज्म में विश्वास नहीं करते। डेमोक्रेसी का रास्ता लम्बा जरूर होता है, इस में कागज और समय की अधिक खपत जरूर हो जाती है, लेकिन मिलजुलकर आप लोगों के सहयोग से जो बातें होती हैं वह टिकाऊ होती हैं और उन से सुधार होता है। सब के मेल-मिल्लत से जो रिजल्ट निकलता है वह गरीबों को राहत देने वाला होता है।

डागा साहब ने बड़ी-बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा—68 करोड़ जो भारतवासी हैं उन के लिये सब से स्ट्रांग मीडिया हमारे जर्नलिस्टस होते हैं चाहे बड़े अखबारों के हों या छोटे अखबारों के हों, गांव में रहने वाले हों या शहर में रहने वाले हों। मैं इस बात को मानती हूं। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहती,

थोड़ी-बहुत अखबार-नवीसी मैंने भी की है तथा कुछ कारस्पाण्डेंट का काम भी छात्रजीवन में किया है। मैं जानती हूं कि इस में क्या कठिनाइयां होती हैं। लेकिन इस चार्ज को कभी भी स्वीकार नहीं करुंगी कि मेरी सरकार या मेरी मिनिस्ट्री या मैं स्वयं बड़े-बड़े अखबार मालिकों के पक्षधर हैं और छोटे लोगों के या गरीब लोगों के हिमायती नही हैं। हम बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय में विश्वास रखते हैं।

ग्रेटेस्ट गुड टू दि ग्रेटेस्ट नम्बर। और मैं आप को कहना चाहती हूं:

"जग पीड़ित रे अति सुख से, जग
पीड़ित रे अति दुःख से
मानव जग में बंट जाए सुख दुःख
से और दुःख सुख से।।"

मैं डागा साहब से कहना चाहती हूं कि 68 करोड़ लोगों का जो स्ट्रांग मीडिया हमारे पत्रकार, अखबारनवीस हैं, उन के सबध में आप ने कहा है। मुझे भी उस का इल्म है, कुछ तजुर्बा भी रखती हूं। मेरी भी आंखें खुली हैं, कान खले हैं, मैं देखती हूं सुनती हूं और पढ़ती हूं और जानती हूं और मैं तो यह कहना चाहती हूं:

"खींचो न कमान, न तार निकालो,
जब ताप मुकाबिल हो, तो अखबार
निकालो"।

किसी ने कहा कि सरकार की मंशा बहुत खराब है लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि सरकार की मशा बिल्कुल साफ है। मैं ने आप लोगों को अपनी बातें बतलाई हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हं कि आप लोग अगर हमारी मदद करें और यदि आप का पूरा सहयोग हमें मिले, तो ये सारी चीजें, जो मैं तरमीम ला रही हूं बिल के रूप में, एमेंडमेंट के रूप में, उस से हमारे पार्ट-टाइम कोरसपोंडेंटस का भला होगा ही और साथ-साथ हम इसे खूबसूरती के साथ इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, जिस के लिए आप बहुत आतुर हैं।

मैं ने पहले कहा है कि मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगी लेकिन मैं यह कह देना चाहती हूं कि किसी माननीय सदस्य ने कहा कि 2500 कर्मचारी रिट्रेन्च्ड हैं और किसी ने कहा कि 2,000 रिट्रेंच्ड हैं और पत्रकार संसद ने 26 हजार रिट्रेंच्ड लोगों का जिक्र मुझ से किया है। मैं ने उन से कहा कि सारी कम्पलेंटस और ग्रिवान्सेज के कागजात मेरे सुपुर्द हो जाने चाहिए और मैं निष्पादित कड़ाई के साथ कराऊगी लेकिन आज तक पत्रकार ससद से एक भी ग्रिवांस और कम्पलेंट का पेटीशन मेरे पास नहीं आया, तो मैं कर क्या सकती हूं।

तमिलनाडू का एक अखबार है, जिस का नाम लिया गया है। मैंने कहीं नोट किया है। उस में बहुत गड़बड़ी है, ऐसा कहा गया लेकिन सभी समस्याओं का समाधान मैं ही नहीं कर लूंगी। जो एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट है और उन के अंदर जो अखबार पढ़ते हैं, वहीं पर वे बातें जानी चाहिए। वहां के ट्रिब्यूनल और वहां के कोर्ट से वे कैसे निष्पादित होगें। अगर हमारे पास आते हैं, तो हम उन के पास भेज देगें और जो एम्पलाइज की डिमांडस हैं, हम देखेंगे कि वे उन को देखें।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देना चाहती हूं और आप से अपील करना चाहती हूं कि मेरे इस इमेंडमेंट बिल को आप समर्थन दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

17.17 hrs.

ARREST OF MEMBER

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is one announcement to be made. I have to inform the House that I have received the follwing wireless message dated 15 September, 1981, from the District Magistrate, Faizabad, U.P., today :—

"Shri Ram Awadh, M.P. arrested under section 188 I.P.C. on 15-9-1981 in Tanda for defying prohibitory order under section 144 Cr. P.C. promulagated by the Sub Divisional Magistrate, Tanda The M.P. defied prohibitory order along with four other workers in connection with Jail Bharo Andolan launched by Lokdal Party. Shri Ram Awadh h a been in District Jail, Faizabad, U.P."

WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL—CONTD.

Clause 2—(Amendment of Section 2)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the House will take up Clause by Clause consideration. Clause 2. There are amendments to be moved.

SHRI SATYANARAIN JATIYA : I beg to move :

"Page 1, line 14,—
after "newspaper" *insert*—
"or periodical or magazine" (1)

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :
"Page 1, line 13,—
after "part-time," *insert*—
"either permanently or temporarily," (3)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move :

"Page 1—
after line 15, *insert*—
'and (ii) the follwing Explanation shall be inserted, namely—

Explanation—Any person who was in employment, whether whole time or part time, on October 1, 1979 including a correspondent employed permanently or termporarily for a stipulated period, shall be considered an employee for the purpose of this Act.". (14)

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज दो की लाइन 14 के बारे में मैंने कहा है—

In relation to one or more newspaper or periodical or magazine establishment'

इस के विषय में मेरा यह कहना है कि केवल न्यूजपेपर्स तक ही इस लाभ को सीमित नहीं करना चाहिए। पत्र-पत्रिकाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। समाचार पत्रों में काम करने वालों के अलावा जो पत्र-पत्रिकाओं में काम करते हैं, उनको भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

SHRI SUDHIR GIRI : The Minister has given the number of retrenched journalists. He has not given the number of discharged or dismissed employees or workers. I have been given the figure of 2500 who were retrenched employees and journalist. The hon. Minister should amend the Clause so that this benefit may be effective from 1st day of January, 1980.

श्री रामअवतार शास्त्री: मैंने जो सशोधन दिया है, उसे मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि इसी तरह का संशोधन श्री नवल किशोर शर्मा ने भी दिया था जिसको कि कि उन्होंने मूव नहीं किया। मेरा सशोधन इस प्रकार है—

"पृष्ठ 2,—

पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये :—

'और (ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा :—

"स्पष्टीकरण—कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्तूबर, 1979 को नियोजन में था, चाहे पूर्णकालिक या अंशकालिक जिसके अतर्गत स्थायी रूप से या

नियत अवधि के लिए नियोजित अंशकालिक संवाददाता भी है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी समझा जाएगा।"

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: The term newspaper has been defined in the Act to mean any printed periodical work containing public news or comments on public news and includes such other class of periodical work as may from time to time be provided in this behalf by the Central Government in the Official Gazette. Thus the definition of newspaper already includes periodicals and magazines. There is therefore no need for this amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will put all the amendments moved to Clause 2, together to the vote of the House.

Amendments Nos. 1, 3, *and* 14 *were put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (*Insertion of new section* 16A)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Amendments to Clause 3 may be moved now.

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 2, lines 3 and 4,—

after "establishment" *insert* "or news agency" (4)

Page 2, line 8,—

for "or retrench"

substitute "retrench or transfer" (5)

Page 2, line 8,—

after "newspaper" *insert* "or news agency" (6)

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I bet to move :

Page 2,—

after line 8, *insert*—

"16B. Every employee of a newspaper shall be given proper grouping categorisation and appointment letter."

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : I beg to to move :

Page 2, line 8,—

add at the end—

"While for the same action showing any other reasons as that mentioned above the employer must take prior clearance from the Central Government satisfying the genuineness of the reasons shown." (11)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jamilur Rahaman is not there. Mr. Daga again.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg to move :

Page 2—

after line 8, *insert*—

"16B. Every part-time correspondent shall get the benefits of service security, gratuity, Provident Fund and Overtime allowance." (15)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will put all the amendments together to the vote of the House.

SHRI MOOL CHAND DAGA : At least allow us for half a minute to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, please be brief.

श्री मूलचन्द डागा : एक बात बहुत जरूरी थी। हमारी श्रम मंत्री जी ने जवब दिया है। वह ठीक है कि खुफिया विभाग को कह दिया गया हैं। लेकिन कई समस्याए हैं शोषण और दमन की। एक यह है कि यह जो आनरेरियम पर होते हैं ये कौन से पत्रकार होते हैं? क्या उनको अपोइंटमेंट लेटर दिया जाता है उनकी सुविधाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं। पालेकार अवार्ड ने जो कही हैं उनके बारे में इनके लिए आपका क्या कहना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your amendment has already been circulated. Every Member has got it.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I know it; everybody have gone through it; that I know; at least you gone through that; I am very certain about that. Here what I say is :

"Every employee of a newspaper shall be given proper grouping, categorisation and appointment letter.".

[Shri Mool Chand Daga]

आजकल क्या होता है कि अपायटमेंट लैटर नहीं देते हैं और उनको जब चाहें निकाल देते हैं आपने कहा है कि फिर से बिल लाना पड़ेगा और अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाए और यह बात बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे तो आप एक छोटा सा परपज सर्व कर सकेंगे।

SHRI SUDHIR GIRI : The amendment intends to safeguard the interest of the present journalists. Here only the newspaper establishment has been indicated. The news agencies are there which are also not paying the due wages to their employees. So, I have brought forward this amendment.

SHRI A.K. ROY : My amendment is very vital. You have seen it. You read it. It says, "No employer in relation to a newspaper establishment shall dismiss, discharge or retrench any newspaper employee by reasons of its liability for payment of wages to the newspaper employees at the rate specified in the order of the Central Government." No owner is that foolish that he would retrench or dismiss his employees stating that reason. It is impossible. That is why I also wanted to know how many employees have already been retrenched ? She should give the figures. If he wants retrene to his employees, he will take definitely any other plea. What should be the safeguard ? That is why I have helped my Labour Minister. I have armed her with this particular amendment while for the same action saying any other reason. I have just mentioned that they must take prior help from the Central Government. The employer will say that they have got surplus; that is why they want to retrench them. They must take care so that the Ministry can examine whether that reason is genuine or not. That is why this amendment is very vital and it will arm her to tackle the unscrupulous mamagement in a proper way So. I request her to accept my amendment.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : No complaint has been brought to the notice of the Government by labour leaders. If he has got any complaint or grievance, he can submit it to me and I will look into it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I shall put all the amendments moved against Clause 3 to the vote of the House.

Amendment Nos. 4 to 7 and 11 and 15 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill

Clause 4—(Repeat and Saving)

MR. DEPUTY- SPEAKER : There is no amendment. So, I shall put it to the vote of the House The question is :

"That Clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1— (Short title and Commencement)

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 1, lines 6 and 7—.

for "on the13th day of August, 1980 " *Substitute* "on the 1st day of January, 1980." (2)

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I beg to move :

Page 1, lines 6 and 7,—

for "13th day of August, 1980

substitute "1st day of October, 1979" (8)

SHRI A.K: ROY : I beg to move :

Page 1, line 6,—

for "13th" *substitute* "12th" (9)

The number 13 is unlucky. This Award is dated 12th August. So, I say instead of 13th, you substitute 12th.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: The Government has received the Tribunal Award on 13th August, 1980.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I shall put all the amendments moved against Clause 1 to the vote of he House.

Amendments Nos. 2, 8, and 9 ere put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA I beg to move :

"That the Bill be passed".

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :—

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Ramavatar Shastri.

Only one minute, like a diamond.

I have no objection for two minutes.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। समयाभाव के कारण मैं एक दो बातें ही कहना चाहता हूं। अखबारों में जो पत्रकार काम करते हैं या सवाददाता होते हैं उन्हीं से संबंधित आपका यह विधेयक है। मैं कह दूं कि अखबारों के मालिक अपने कर्मचारियों को तरह तरह से तंग करते हैं। आपने सुना होगा एक जमाने में विश्व मित्र अखबार पटना से निकलता था। मूल चन्द्र अग्रवाल उसके मालिक थे उस अखबार ने बहुत से पत्रकारों की छटनी कर दी थी जिस में वाल्मीकि प्रसाद विकट एक सुप्रसिद्ध कवि भी थे जिन को आप भी जानते हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। जो अखबार मालिकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं उनकी स्थिति कैसे खराब हो जाती है इसका विकट जी एक उदाहरण हैं। इसी तरह बनारस से आज निकलता है। बहुत सुप्रसिद्ध अखबार है। पंडित कमला पति त्रिपाठी जैसे व्यक्ति उसके सम्पादक रह चुके है। वहां झगड़ा चल रहा है। कुछ लोगों को निकला गया है। उर्दू के अखबारों की बात भी सामने है। उन्होंने आम तौर से पालेकर एवार्ड को माना नहीं है। पता नहीं उन से आप कैसे मनवाएगें क्योंकि वे कहते है उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। एक इजारेदार के अखबार का भी मैं नाम लेना चाहता हूं। सर्चलाइट और प्रदीप उनका नाम है। उसके मालिकों ने आज तक पालेकर एवार्ड को स्वीकार नहीं किया है। जब श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से कहा जाता है, कर्मचारियों की तरफ से कहा जाता है कि एवार्ड लागू होना चाहिये तो वे कहते हैं कि उनकी आथिक स्थिति अच्छी नहीं है। बिड़ला जैसा हिन्दुस्तान का बड़ा एकाधिकारी उद्योगपति कहे कि हमारी आथिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए हम पत्रकारों के अधिकारों को मान्यता नहीं देंगे तो इससे बढ़ कर शर्म की और क्या बात हो सकती है। अब तक वहां का लेबर डिपार्टमेंट भी बिड़ला साहब को इसके लिए राजी नहीं कर सका है। वह इतने बड़े हैं कि उनको राजी करना भी बड़ा मुश्किल है। यहां तो कम से कम पालेकर एवार्ड को लागू करवाएं। यह बहुत ही आवश्यक है। वहां के कर्मचारी तरह-तरह से आंदोलन के रास्ते पर चले गए हैं। उनको बचाया जाना चाहिये। अगर आप इस तरह से करेंगे तो सचमुच में पत्रकारों का भला होगा, पत्रकार समझेंगे कि हमारे लिए खाली सरकार कानून ही नहीं बना देती है बल्कि उन पर अमल भी करती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): मुझे जो कमी नजर आ रही है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पत्रकारों को

[श्री हरिकेश बहादुर]

सुरक्षा प्रदान करने के बारे में आपने कोई बात नहीं कही है। पत्रकार आज हर तरह से असुरक्षित है। जहां तक उनकी शारीरिक सुरक्षा का संबंध है आपने देख लिया है कि लाला जगत नारायण की हत्या का जघन्य अपराध अभी हाल ही में हुआ है और वह आपके सामने है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में जो कुछ हुआ है, बनारस में जिन वार्ता के पत्रकार, सहारनपुर में पत्रकारों के साथ क्या हुआ, प्रचंड के जो भंडारी साहब पत्रकार थे, उनके साथ क्या हुआ वह सब आपके सामने हैं। मैं चाहता हूं कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में आप विशेष ध्यान दें।

उनकी नौकरी की भी सुरक्षा नहीं है। पालेकर एवार्ड की एनाउंसमेंट के बाद से करीब दो हजार पत्रकारों के निकाले जाने की बात आपके सामने कुछ लोगों ने रखी है...

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आप कहते हैं। मेरे सामने कागज नहीं है। कागज दें। आप मुझे कागजात क्यों नहीं देते।

श्री हरिकेश बहादुर : नाराज न हों। 2,000 लोगों के बारे में मैं भी कह रहा हूं। लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार है जिन्होंने अपने बारे में भी अभी तक आपको कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपको अपनी मशीनरी से स्वयं पता लगा लेना चाहिये कि ऐसे कौन से लोग हैं और कहां-कहां निकाले गये हैं, खासकर बड़े पूंजीपतियों ने, जिनके कब्जे में अखबार हैं, उन्होंने अवार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने स्वयं पता लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी गई। आपको स्वयं पता लगाना चाहिये और किन-किन लोगों की छटनी की गई, और जिन्होंने छटनी की है उनका न्यूजप्रिन्ट का कोटा आप बन्द कर दें।

छोटे अखबारों के विकास के लिए विशेष रूप से कुछ ठोस उपाय आपको करने चाहिये, खासतौर से रीजनल लैंगुएजेज में, हिन्दी में जो छोटे-छोटे अखबार निकलते हैं उनसे संबंधित जो पत्रकार है उनके लिये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। सरकार ने पालेकर ट्राइब्यूनल अवॉड को इम्प्लीमेंट करने की तिथि क्यों बदल दी? केन्द्रीय सरकार द्वारा यह चीज बदल दी गई, यह उचित नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप उसको पुनः रिवाइज करें।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है।

श्री हरिकेश बहादुर सिन्हा : कोई जो समाचार एजेंसीज हैं "हिन्दुस्तान समाचार" और समाचार भारती" इनके पत्रकारों को वेतन नहीं मिलता है, वह तरह-तरह से परेशान हो रहे हैं और वहां कुछ गड़बड़ियां भी है उनके बारे में आपको कई बार कहा गया है। इसलिये उनकी जांच कराइये और उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दें, खासतौर से "हिन्दुस्तान समाचार" के लोग बहुत ही त्रस्त हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामावतार शास्त्री ने जो बातें कही हैं उर्दू और हिन्दी अखबारों में के सम्बन्ध में तो यह पहले कह देना चाहती हूं कि हिन्दी और उर्दू के अखबारों में कोई भेद नहीं मानती हूं। किसी ने कहा है कि यह हिन्दी नहीं है यह उर्दू नहीं है यह जुमले

जिगर के जुवां जिन्दगी की "। लेकिन जहां तक उन अखबारी कर्मचारियों की मुसीबत का सवाल है मेरे सामने शिकायतें आयेंगी तो कानूनी तरीके से भी शीघ्रता से दूर करने का प्रयास करूंगी। "विश्वामित्र" अखबार कई जगह से निकलता है कलकत्ता से भी निकलता है। लेकिन पटना में गड़बड़ी कई सालों से है। उस को सुलझाने का बड़ा प्रयास किया था जब मैं बिहार में श्रम मंत्री थी तब और जिन कवि श्री विकट का शास्त्री जी ने नाम लिया था मुझे उस की जानकारी है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि कुछ कानूनी ढंग से वह वाइन्ड अप हो गया। तो उसको फिर कैसे निकाला जाय आप आइये बातें होंगी।

जहां तक उर्दू अखबार "अलजमियत" के ऐम्प्लाईज का सवाल है मैंने पहले ही कहा कि मैंने "अलजमियत" के प्रतिनिधि को बुलाया था। वे अभी तक वालिब की परिभाषा स्पष्ट नहीं कर सके फिर मैं क्या कर सकती हूं। आप इस में मेरी सहायता करें।

"प्रदीप" और "सर्चलाईट" का आपने जिक्र किया, देखा जायगा। लेकिन बिहार सरकार के अधिकार में ये अखबार नहीं अतः वहां बात होनी चाहिये। यों मेरे सामने शिकायतें आयेंगी तो संबंधित सरकारों के यहां उन्हें भेज कर और उचित कार्यवाही करने की दिशा में निर्देश दूंगी।

MR DEPUTY SPEAKER: The question is "That the Bill be passed"

The Motion was adopted

17.40 hrs.

STATUTORY RESOLUTION : *RE* APPROVAL FOR FIXING MAXIMUM AMOUNT OF LOAN FOR ASSAM STATE ELECTRICITY BOARD

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI): On behalf of my colleague, Shri Vikram Mahajan, I beg to move :

"That in pursuance of sub-section (3) of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), read with clause (b) of the Proclamation issued on the 30th June, 1981 by the President under article 356 of the Constitution with respect to the State of Assam, this House accords approval for fixing under the said sub-section (3) the sum of one hundred and fifty crores of rupees as the maximum amount which the Assam State Electricity Board may, at any time, have on loan under sub-section (1) of the said section 65."

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

"That in pursuance of sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), read with clause (b) of the Proclamation issued on the 30th June, 1981, by the President under article 356 of the Constitution with respect to the State of Assam, this House accords approval for fixing under the said sub-section (3) the sum of one hundred and fitfy crores of rupees as the maximum amount which the Assam State Electricity Board may, at any time, have on loan under sub-section (1) of the said section 65."

SHRI RAVINDRA VARMA : (Bombay-North) : I want to speak on this Resolution. The Resolution seems to be a very simple Resolution. But it is not so simple. I will take a few minutes to explain how it is not so simple. Therefore, I would request you to allow me to speak on it tomorrow.

MR DEPUTY SPEAKER : All right. We will take up the next item.